

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 467]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 अगस्त 2022—भाद्र 7, शक 1944

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र-एफ-30-08-2002-दस-3

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2022

मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2022

(भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41, 42 तथा 76 के अंतर्गत)

प्रस्तावना:-

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का स.16) की धारा पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये वनोपज के अभिवहन हेतु राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 अधिसूचित किये गये थे। उसके पश्चात दिनांक 13 मई 2021 को प्रकाशित अधिसूचना से उन नियमों के नियम 3 एवं नियम 18 में संशोधन कर ऑनलाईन नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (<http://ntps.nic.in>) द्वारा जारी किये गये इलेक्ट्रॉनिक अभिवहन अनुज्ञा पास/ अनापत्ति प्रमाण पत्र को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विधि मान्य करने संबंधी संशोधन किया गया है। अभिवहन अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन जारी करने हेतु इन नियमों में व्यापक परिवर्तन होने से पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए नवीन अधिसूचना जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 41 तथा 42 के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं का अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा, वनोपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ :

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2022' है।
- (2) ये नियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर लागू होंगे।
- (3) ये नियम मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस बाबत पृथक से अधिसूचित दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा :

- (1) इन नियमों में अधिनियम से अभिप्रेत है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16)
- (2) गौण वन उत्पाद से अभिप्रेत है, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में परिभाषित गौण वन उत्पाद

3. अनुज्ञा पत्रों के माध्यम से वनोपज के अभिवहन का विनियमन :

किसी भी वनोपज का मध्यप्रदेश राज्य में या राज्य से बाहर या राज्य के बाहर से राज्य में, इसके पश्चात् उपबंधित रीति के सिवाय, इन नियमों के साथ संलग्न प्रारूप (क) में जारी ऑनलाइन अभिवहन प्रमाण पत्र या प्रारूप (ख) में जारी ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाणपत्र अथवा ऑनलाइन नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (<https://ntps.nic.in>) द्वारा जारी ऑनलाइन अभिवहन अनुज्ञा पत्र या ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना गमनागमन नहीं किया जाएगा।

अभिवहन अनुज्ञा पत्र उन वनोपजों के अभिवहन हेतु आवश्यक होगा जिन्हें इस नियम के अंतर्गत वर्णित परन्तुक में इससे छूट प्रदान नहीं की गई है। इन नियमों के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र उन प्रजातियों की वनोपजों के अभिवहन हेतु दिया जायेगा, जिन्हें इस नियम के अंतर्गत अभिवहन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है।

अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र किसी वन अधिकारी या ग्राम पंचायत या इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा या नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम द्वारा ऑनलाइन जारी किया जाएगा :

परन्तु कोई भी अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र ऐसी वनोपज को हटाने के लिये आवश्यक नहीं होगा

- (क) जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे ग्राम की सीमाओं के भीतर, जिसमें यह पैदा हुई हो, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिए गए विशेषाधिकार या अधिनियम के अधीन मान्य किए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए वास्तविक घरेलू उपभोग के लिए हटाई जा रही है।
- (ख) ऐसी वनोपज पर, जिसे राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दी गई हो।
- (ग) ऐसी वनोपज पर, जो निजी भूमियों पर किये गये ऐसे वृक्षारोपणों से प्राप्त की गई हो, जिसकी सूचना काष्ठ उत्पादक द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर रोपण के पश्चात राज्य शासन द्वारा विहित रीति से दर्ज कराई गई हो।
- (घ) ऐसी वनोपज पर, जो तत्समय प्रवृत्त इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई, धन संबंधी रसीद (मनी रिसीप्ट)/रेटेड पास/वनोपज कार्टिंग चालान के अन्तर्गत आती हो।

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उसके स्वामित्व की ऐसी प्रजातियों की वनोपज हेतु ऑनलाइन अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग करता है तो उसे अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र, इस निमित्त प्राधिकृत वन अधिकारी या ग्राम पंचायत या

इन नियमों के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन जारी किया जायेगा।

4. अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी और व्यक्ति :

इन नियमों के अधीन निम्नलिखित अधिकारियों और व्यक्तियों को ऑनलाइन अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति होगी—

- (क) शासकीय वनोपज के लिए, वनमंडल अधिकारी या कोई अन्य वन अधिकारी, जो वनमंडल अधिकारी द्वारा लिखित में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो,
- (ख) किसी व्यक्ति के स्वामित्व की वनोपज के लिए, वनमंडल अधिकारी या कोई अन्य वन अधिकारी, जो वनमंडल अधिकारी द्वारा लिखित में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो या शासन द्वारा प्राधिकृत ग्राम पंचायत जिसकी अधिकारिता में वनोपज पाई गई हो या ऊगाई गई हो।

5. अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए फीस की दरें:

राज्य शासन अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए फीस की दरें नियत करेगा।

6. अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र की विषयवस्तु :

- (1) नियम 3 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा :
 - (क) उस व्यक्ति का नाम, पता, पहचान पत्र का क्रमांक, मोबाइल नम्बर/ई-मेल आई.डी. जिसे ऐसा अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।
 - (ख) अभिवहन की जाने वाली वनोपज की मात्रा और विवरण (लट्ठों की दशा में नाप सहित) एक सूची अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न की जाएगी।
 - (ग) स्थान का नाम, जहाँ से तथा जहाँ तक ऐसी वनोपज का परिवहन किया जाना है।
 - (घ) वह मार्ग, जिससे ऐसी वनोपज का परिवहन किया जाना है।
 - (ङ) वाहन का प्रकार एवं पंजीयन क्रमांक
 - (च) वह कालावधि जिसके लिए अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रवृत्त रहेगा।

- (छ) ऑनलाइन जनरेटेड वैध अभिवहन चिह्न की छाप।
- (ज) अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम, कार्यालय का पता एवं दूरभाष/मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी.।
- (2) ऑनलाइन अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र इन नियमों के साथ संलग्न प्रारूप क, ख या ग में नियम 4 में प्राधिकृत वन अधिकारी या ग्राम पंचायत या इस हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया जावेगा :
- प्रारूप-क- अभिवहन अनुज्ञा पत्र
 प्रारूप-ख- अनापत्ति प्रमाण पत्र
 प्रारूप-ग- ऑनलाइन नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम द्वारा जारी किये गये फारेन पास को छोड़कर अन्य फारेन पास के स्थान पर जारी किया जावेगा।
- (3) अभिवहन अनुज्ञा पत्र के आवेदन में दर्शित वनोपज का सत्यापन प्राधिकृत वनाधिकारी द्वारा प्रारूप - च में किया जायेगा एवं आनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
- (4) प्रत्येक ऑनलाइन अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र की एक यूनिक आई. डी. ऑनलाइन जनरेट की जायेगी जो उस ऑनलाइन अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र पर भी अंकित होगी।
- (5) जारी किये गये प्रत्येक ऑनलाइन अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र की एक-एक प्रति संबंधित वनोपज जाँच नाकों, संबंधित वन परिक्षेत्र एवं संबंधित वनमंडल को ऑनलाइन पृष्ठांकित की जायेगी।
- (6) प्रत्येक ऑनलाइन अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सुसंगत दस्तावेजों तथा जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन अभिवहन अनुज्ञा पत्र 30 दिनों के भीतर तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र 07 दिनों के भीतर जारी किया जायेगा। निर्धारित समयावधि पूर्ण हो जाने पर ऑनलाइन अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र पोर्टल से स्वमेव जारी हो जायेगा।

7. प्रत्येक लोड के लिये पृथक अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र होगा:

किसी भी अभिवहन अनुज्ञा पत्र में एक लोड से अधिक का समावेश नहीं होगा।

8. अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र को बिगाड़ा नहीं जायेगा :

किसी अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र में मार्ग, वाहन और कालावधि के विषय को छोड़कर मुद्रित या लिखित किसी बात में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और यह केवल किसी वन अधिकारी द्वारा, जो वनपाल से अनिम्न न हो, अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में नया संशोधित ऑनलाइन अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

9. काष्ठ पर अभिवहन चिह्नों का लगाया जाना :

किसी भी काष्ठ का मध्यप्रदेश के भीतर तब तक गमनागमन नहीं किया जाएगा, जब तक उस पर ऑनलाइन अभिवहन अनुज्ञा पत्र पर अंकित अभिवहन चिह्न न हो। अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्थिति में काष्ठ पर अभिवहन चिह्न की आवश्यकता नहीं होगी।

10. वनोपज को दिन के प्रकाश में ही हटाया जायेगा :

अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र में दर्शित मार्ग को छोड़कर वनमंडल अधिकारी की लिखित में विशेष अनुज्ञा के सिवाय, किसी भी वनोपज का सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व के समय के बीच, वनों के भीतर परिवहन नहीं किया जायेगा।

11. वनोपज के आयात हेतु पंजीयन :

- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मध्यप्रदेश में आयात के लिए काष्ठ या लघु वनोपज की ऐसी प्रजाति विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके लिये आयातकर्ताओं को संबंधित वनमंडल अधिकारी के कार्यालय में स्वयं का पंजीयन करवाना आवश्यक होगा जिनके कार्यक्षेत्र में ऐसी काष्ठ की प्रजाति या गौण वनोत्पाद आयात की जाना है।
- (2) वनमंडल अधिकारी पंजीयन के लिये आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक सत्यापन के पश्चात् और आवेदक द्वारा शासन द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान कर दिये जाने पर 30 दिन के भीतर पंजीकृत करेगा तथा आवेदक को प्रारूप-घ में आयात का पंजीयन प्रमाण-पत्र देगा तथा ऐसा पंजीयन, 05 कैलेण्डर वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।
- (3) अधिसूचित वनोपज का आयात करने वाला व्यक्ति, उसका तिमाही लेखा, संबंधित वनमंडल अधिकारी को प्रारूप-ड में ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा।

12. फारेन पास :

- (1) (क) ऐसी समस्त वनोपज, जो मध्यप्रदेश राज्य में आयात की जा रही है, निर्यात किए जाने वाले देश या राज्य द्वारा जारी किए गए, अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र के अन्तर्गत होनी चाहिए तथा काष्ठ के मामले में प्रत्येक टुकड़े (पीस) पर अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र पर अंकित अभिवहन चिह्न लगा होना चाहिये।
- (ख) मध्यप्रदेश के प्रवेश सीमा जाँच नाके (बार्डर चैकिंग बैरियर) पर अभिवहन अनुज्ञा पत्र/ अनापत्ति प्रमाण पत्र के स्थान पर इस संबंध में प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा नया ऑनलाइन अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और मूल अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा कर लिया जायेगा। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (<https://ntps.nic.in>) द्वारा जारी किया गया ऑनलाइन अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र भी सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में विधिमान्य किया जायेगा एवं उसके माध्यम से परिवहन किये जा रहे वनोपज हेतु फारेन पास की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ग) जब वनोपज मध्यप्रदेश में से होकर अन्यत्र जा रही हो, तब अभिवहन अनुज्ञा पत्र/ अनापत्ति प्रमाण पत्र पर प्रथम सीमा जाँच नाके से गन्तव्य के लिये राज्य के अन्तिम सीमा जाँच नाके को उल्लिखित करते हुए अभिवहन अनुज्ञा पत्र/ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक फारेन पास इस नियम के प्रारूप ग में दिया जायेगा।

13. अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र पर दर्शित चिह्नों की नकल नहीं की जाएगी या उन्हें मिटाया नहीं जाएगा :

वन अधिकारी या कोई भी व्यक्ति, जिसका कर्तव्य ऐसे चिह्नों का उपयोग करना है, किसी शासकीय अभिवहन चिह्न या ऐसे चिह्न, जिससे सरकार की काष्ठ चिह्नांकित की गई हो, के समरूप या उसके अतिसदृश्य कोई संपत्ति चिह्न काष्ठ के लिए उपयोग में नहीं लायेगा और इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र अधीन अभिवहन की जा रही काष्ठ पर के किसी चिह्न को परिवर्तित नहीं करेगा या/तथा उसे नहीं मिटायेगा।

14. अभिवहन की जा रही वनोपज को रोकने एवं जाँच की शक्ति :

- (1) अभिवहन की जा रही कोई वनोपज, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, और ऐसी वनोपज का वहन करने वाले पशु, यान, जलयान या क्राफ्ट को किसी वन, पुलिस या राजस्व अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर रोका जा सकेगा, निरुद्ध किया जा सकेगा, उसका परीक्षण किया जा सकेगा या उसकी जाँच की जा सकेगी, यदि ऐसे अधिकारी को यह संदेह करने के युक्तियुक्त आधार हों कि वनोपज का अभिवहन, इन नियमों के उल्लंघन में किया जा रहा है या उसके संबंध में सरकार को शोध्य किसी धन का भुगतान नहीं किया गया है या यह कि उसके संबंध में कोई वन संबंधी अपराध किया गया है या किया जा रहा है :

परन्तु ऐसा कोई अधिकारी वैध रूप से अभिवहन की जा रही वनोपज को तंग करने की दृष्टि से या अनावश्यक रूप से निरुद्ध नहीं करेगा और न ही ऐसी वनोपज का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिये अनावश्यक रूप से उतरवायेगा।

- (2) ऐसी वनोपज का भारसाधक व्यक्ति, जाँचकर्ता अधिकारी को ऐसी समस्त जानकारी, देगा जो वह उस वनोपज के संबंध में देने में समर्थ हो और यदि वह वनोपज को अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अभिवहन कर रहा है तो ऐसा अभिवहन अनुज्ञा पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे अधिकारी द्वारा वनोपज को रोके जाने या परीक्षण किए जाने को किसी भी प्रकार से नहीं रोकेगा या उसका विरोध नहीं करेगा।
- (3) (क) अभिवहन अनुज्ञा पत्र द्वारा परिवहन की जा रही प्रत्येक वनोपज, मार्ग के सगस्त वनोपज जाँच नाकों पर जाँच के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
- (ख) जाँच नाके का भारसाधक अधिकारी अभिवहन अनुज्ञा पत्र में दिए गए ब्यौरों के अनुसार मात्रा तथा अंकित अभिवहन चिह्न की जाँच तथा सत्यापन करेगा। वनोपज की वैधता का समाधान हो जाने के पश्चात् अभिवहन अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित ब्यौरों की पुष्टि ऑनलाईन करेगा। जाँच नाके का भारसाधक, अभिवहन अनुज्ञा पत्र के संबंध में दिनांक एवं समय की प्रविष्टि आनलाईन करेगा।
- (4) यदि कोई अंतर या अनियमितताएं ध्यान में आती हैं, तो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 के उपबंध लागू होंगे।

15. नियमों को भंग करने पर शास्ति:

- (1) जो कोई इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या प्राधिकार के बिना अथवा इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में अभिवहन अनुज्ञा पत्रों को जारी करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।
- (2) ऐसे मामलों में, जहाँ अपराध सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व विधिपूर्ण प्राधिकारी के प्रतिरोध की तैयारी के साथ किया जाता है, या जहाँ अपराधी पूर्व में ऐसे ही अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जा चुका हो तो अधिरोपित की जाने वाली शास्ति, ऊपर उपनियम (1) में वर्णित शास्ति से दुगुनी होगी।
- (3) उपनियम 3 के परन्तुक (क), (ख) एवं (ग) में मध्यप्रदेश शासन द्वारा छूट प्रदत्त प्रजातियों से संबंधित अपराध प्रकरणों में वह ऐसे जुर्माने से, जो प्रथम अपराध में रुपये दस हजार तथा द्वितीय एवं पश्चात्वर्ती अपराध में रुपये बीस हजार से दण्डनीय होगा।

16. अपराधों का प्रशमन करने की शक्ति:

ऐसे प्रकरणों में, जहाँ अपराध में अभिग्रहित वनोपज शासकीय सम्पत्ति नहीं है, या शासकीय सम्पत्ति होते हुए भी उसका मूल्य रु. 1,000/- से कम है और यदि अपराधी ने पहली बार अपराध कारित किया हो तब प्रकरण रु. 10,000/- की राशि या यान का मूल्य जो भी अधिक हो, के भुगतान पर उपवनमण्डलाधिकारी की पद श्रेणी से अनिम्न अधिकारी द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा। अपराध प्रशमन पश्चात् कोई और कार्यवाही नहीं की जावेगी। अभिग्रहित वनोपज, शासकीय सम्पत्ति न होने पर या शासकीय सम्पत्ति होने की स्थिति में उसका मूल्य भुगतान कर देने पर निर्मुक्त की जा सकेगी।

17. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति :

यदि इस नियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य शासन उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिये ऐसा आदेश जारी कर सकेगी जो उन उपबंधों से असंगत न हो।

18. सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण :

इस नियम या इनके अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसरण में, सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिये किसी अधिकारी या व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जा सकेगी।

19. निरसन :

इन नियमों के प्रवृत्त होने पर, इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी क्षेत्र में प्रवृत्त इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम निरस्त हो जाएंगे :

परन्तु इस प्रकार निरसित किन्हीं भी नियमों के अधीन की गई किसी बात या किराी कार्यवाही के बारे में जब तक ऐसी कोई बात या कार्यवाही, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से असंगत न हो, यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पद्मप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
प्ररूप -क
{नियम 6 (2)}
अभिवहन अनुज्ञा पत्र
(काष्ठ / जलाऊ / अन्य वनोपज के परिवहन हेतु)

- (1) अभिवहन अनुज्ञा पत्र क्रमांक - (आटो जनरेटेड)
- (2) अभिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किये जा रहे व्यक्ति / संस्था की जानकारी
(सिस्टम द्वारा स्वतः भरा जावेगा)

QR Code
Auto
Generated

- (अ) नाम.....
- (ब) परिचय पत्र का प्रकार एवं अनुक्रमांक
- (स) पता

- (द) मोबाइल नम्बर/.....
- (इ) ई मेल एड्रेस (स्यैच्छिक).....

- (3) वनोपज का नाम (काष्ठ / जलाऊ / बांस)

- (4) अभिवहन की जा रही वनोपज का विवरण -

- (अ) काष्ठ हेतु

अ0क0	लट्ठा क्रमांक	प्रजाति का नाम (सामान्य एवं वानस्पतिक नाम)	गोलाई (से0मी0)	लम्बाई (से0मी0)	आयतन (घ0मी0)
1	2	3	4	5	6

नोट - आवेदक द्वारा लट्ठों की गोलाई एवं लम्बाई का विवरण भरा जायेगा। आयतन की सिस्टम द्वारा स्वमेव गणना की जायेगी।

अथवा

- (ब) जलाऊ चट्टों हेतु

अ0क0	प्रजाति का नाम (सामान्य एवं वानस्पतिक नाम)	चट्टों की संख्या	घ0मी0	वजन (टन में)
1	2	3	4	5

नोट - आवेदक द्वारा चट्टों की संख्या या वजन में से एक जानकारी दी जायेगी।

अथवा

(स) बांस हेतु

अ0क0	प्रजाति का नाम (सामान्य एवं वानस्पतिक नाम)	लम्बाई (मीटर में)	संख्या	वजन (नोशनल टन में)/टन में
1	2	3	4	5

नोट - आवेदक द्वारा बांस की संख्या एवं लम्बाई का विवरण दिया जायेगा या वजन टन में दिया जायेगा। 2400 रनिंग मीटर बांस की लम्बाई को एक नोशनल टन मानकर सिस्टम द्वारा स्वमेव गणना की जायेगी।

(5) भण्डारण का स्थान

(क) स्थल

(ख) परिक्षेत्र

(ग) वन मण्डल

(6) उस स्थान का नाम जहाँ वनोपज परिवहन किया जाना है

(7) मार्ग जिसके द्वारा वनोपज का परिवहन किया जाना है -

(8) वनोपज जॉच नाका जहाँ वनोपज की जॉच कराई जायेगी -

(9) वनोपज परिवहन करने वाले वाहन की जानकारी -

(क) वाहन का प्रकार

(ख) वाहन का पंजीयन क्रमांक

(10) अनुज्ञा पत्र जारी करने का दिनांक

(11) अनुज्ञा पत्र के अवसान का दिनांक (Expiry Date)/...../.....

अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले अधिकारी का विवरण

आटोजनरेटेड

अभिवहन

चिन्ह

(अ) पदनाम

(ब) कार्यालय का पता

(स) कार्यालयीन दूरभाष क्रमांक /मोबाईल नम्बर.....

(द) ई मेल एड्रेस

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

प्ररूप -ख

{नियम 6 (2)}

अनापत्ति प्रमाण पत्र

(काष्ठ/ जलाऊ/ अन्य वनोपज के परिवहन हेतु)

- (1) अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक - (आटो जनरेटेड)
 (2) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे व्यक्ति / संस्था की जानकारी
 (सिस्टम द्वारा स्वतः भरा जावेगा)

QR Code
Auto
Generated

- (अ) नाम.....
 (ब) परिचय पत्र का प्रकार एवं अनुक्रमांक
- (स) पता
- (द) मोबाइल नम्बर,
- (इ) ई मेल एड्रेस (सवैच्छिक).....

- (3) वनोपज का नाम (काष्ठ/ जलाऊ/ बांस)
- (4) अभिवहन की जा रही वनोपज का विवरण -

(अ) काष्ठ हेतु

अ0क0	लट्टा क्रमांक	प्रजाति का नाम (सामान्य एवं वानस्पतिक नाम)	गोलाई (से0मी0)	लम्बाई (से0मी0)	आयतन (घ0मी0)
1	2	3	4	5	6

नोट - आवेदक द्वारा लट्टों की गोलाई एवं लम्बाई का विवरण भरा जायेगा। आयतन की सिस्टम द्वारा स्वमेव गणना की जायेगी।

अथवा

(ब) जलाऊ चट्टों हेतु

अ0क0	प्रजाति का नाम (सामान्य एवं वानस्पतिक नाम)	चट्टों की संख्या	घ0मी0	वजन (टन में)
1	2	3	4	5

नोट - आवेदक द्वारा चट्टों की संख्या या वजन में से एक जानकारी दी जायेगी।

अथवा

(स) बांस हेतु

अ0क0	प्रजाति का नाम (सामान्य एवं वानस्पतिक नाम)	लम्बाई (मीटर में)	संख्या	वजन (नोशनल टन में)/टन में
1	2	3	4	5

नोट - आवेदक द्वारा बांस की संख्या एवं लम्बाई का विवरण दिया जायेगा या वजन टन में दिया जायेगा। 2400 रनिंग मीटर बांस की लम्बाई को एक नोशनल टन मानकर सिस्टम द्वारा स्वमेव गणना की जायेगी।

(5) भण्डारण का स्थान

(क) स्थल

(ख) परिक्षेत्र

(ग) वन मण्डल

(6) उस स्थान का नाम जहाँ वनोपज परिवहन किया जाना है -

(7) मार्ग जिसके द्वारा वनोपज का परिवहन किया जाना है -

(8) वनोपज परिवहन करने वाले वाहन की जानकारी -

(क) वाहन का प्रकार

(ख) वाहन का पंजीयन क्रमांक

(9) अनुज्ञा पत्र जारी करने का दिनांक

(10) अनुज्ञा पत्र के अवसान का दिनांक (Expiry Date)...../...../.....

आटोजनरेटेड
अभिवहन
चिन्ह

अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का विवरण

(अ) पदनाम

(ब) कार्यालय का पता

(स) कार्यालयीन दूरभाष क्रमांक / मोबाईल नम्बर.....

(द) ई मेल एड्रेस

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

प्ररूप -ग

{नियम 6 (2)}

फारेन पास के बदले में जारी किया जाएगा

(नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम द्वारा जारी अभिवहन अनुज्ञा पत्र/ अनापत्ति प्रमाण पत्र को छोड़कर)
(काष्ठ/ जलाऊ/ अन्य वनोपज के परिवहन हेतु)

- (1) अभिवहन अनुज्ञा पत्र क्रमांक - (आटो जनरेटेड)
- (2) अभिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किये जा रहे व्यक्ति / संस्था की जानकारी
(सिस्टम द्वारा स्वतः भरा जावेगा)

QR Code
Auto
Generated

- (अ) नाम.....
- (ब) परिचय पत्र का प्रकार एवं अनुक्रमांक
- (स) पता
-
-
- (द) मोबाइल नम्बर/.....
- (इ) ई मेल एड्रेस (स्वैच्छिक).....

- (3) उद्गम का स्थान

- (क) स्थान का नाम
- (ख) वन / डिपों का नाम तथा प्रास्थिति (स्टेटस).....
- (ग) विक्रेता का नाम

- (4) फारेन पास का क्रमांक एवं दिनांक
- (5) फारेन पास जारी करने वाला प्राधिकारी
- (6) वनोपज का नाम (काष्ठ/ जलाऊ/ बांस)

- (7) अभिवहन की जा रही वनोपज का विवरण -
(जारी किये गये फारेन पास को अपलोड करें)

- (8) सीमा जाँच नाके का नाम
- (8) उस स्थान का नाम जहाँ वनोपज परिवहन किया जाना है
- (9) मार्ग जिसके द्वारा वनोपज का परिवहन किया जाना है -
- (10) वनोपज जाँच नाका जहाँ वनोपज की जाँच कराई जायेगी -.....

- (11) वनोपज परिवहन करने वाले वाहन की जानकारी -
- (क) वाहन का प्रकार
- (ख) वाहन का पंजीयन क्रमांक
- (10) अनुज्ञा पत्र जारी करने का दिनांक
- (11) अनुज्ञा पत्र के अवसान का दिनांक (Expiry Date)/...../.....

आटोजनरेटेड
अभिवहन
चिन्ह

अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले अधिकारी का विवरण

- (अ) पदनाम
- (ब) कार्यालय का पता
- (स) कार्यालयीन दूरभाष क्रमांक / मोबाईल नम्बर.....
- (द) ई मेल एड्रेस

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

प्ररूप -घ

{नियम 17 (2)}

वनोपज के आयात का पंजीयन प्रमाण पत्र

- (1) वनोपज के आयात का पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक - (आटो जनरेटेड)
 (2) वनोपज के आयातकर्ता की जानकारी -
 (सिस्टम द्वारा स्वतः भरा जावेगा)

QR Code
Auto
Generated

- (अ) नाम.....
 (ब) परिचय पत्र का प्रकार एवं अनुक्रमांक
- (स) पता
- (द) मोबाइल नम्बर/
- (इ) ई मेल एड्रेस

- (3) आयात की जाने वाली वनोपज का विवरण

- (क) देश/राज्य जहाँ से वनोपज आयात की जायेगी
- (ख) आयात की जाने वाली वनोपज का नाम
- (ग) आयात की जाने वाली वनोपज की अनुमानित मात्रा

- (6) गंतव्य स्थान का नाम जहाँ वनोपज परिवहन किया जाना है
- (7) मार्ग जिसके द्वारा वनोपज का परिवहन किया जाना है -
- (8) वनोपज जाँच नाका जहाँ वनोपज की जाँच कराई जायेगी -
- (9) वनोपज परिवहन करने वाले वाहन की जानकारी -
- (10) पंजीयन जारी करने का दिनांक
- (11) पंजीयन के अवसान का दिनांक (Expiry Date)/...../.....

पंजीयन करने वाले अधिकारी का विवरण

आटोजनरेटेड
अभिवहन
चिन्ह

- (अ) पदनाम
- (ब) कार्यालय का पता
- (स) कार्यालयीन दूरभाष क्रमांक / मोबाइल नम्बर.....
- (द) ई मेल एड्रेस

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
 प्ररूप - च
 {नियम 6 (2)}
 भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन
 (काष्ठ/ जलाऊ/ अन्य वनोपज के परिवहन हेतु)

(1) भौतिक सत्यापन करने वाले प्राधिकृत वनाधिकारी का विवरण -

- (अ) नाम.....
 (ब) पदनाम
- (स) कार्यालय का पता
- (द) शासकीय मोबाइल नम्बर/दूरभाष क्रमांक
- (इ) ई मेल एड्रेस (स्वैच्छिक).....

उपरोक्त जानकारियों सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा स्वयं भरी जावेगी।

(2) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे व्यक्ति / संस्था की जानकारी
 (सिस्टम द्वारा स्वतः भरा जावेगा)

- (अ) नाम.....
 (ब) परिचय पत्र का प्रकार एवं अनुक्रमंक
- (स) पता
- (द) मोबाइल नम्बर,
- (इ) ई मेल एड्रेस (स्वैच्छिक).....

(3) वनोपज का नाम (काष्ठ/ जलाऊ/ बांस/ गौण वन उत्पाद)

(4) अभिवहन की जा रही वनोपज का विवरण (सिस्टम द्वारा स्वतः भरी होगी किन्तु संशोधित की जा
 सकेगी) -

(अ) काष्ठ हेतु

अ0क0	लट्टा क्रमांक	प्रजाति का नाम (सामान्य एवं वानस्पतिक नाम)	गोलाई (से0मी0)	लम्बाई (से0मी0)	आयतन (घ0मी0)
1	2	3	4	5	6

अथवा

(ब) जलाऊ चट्टों हेतु

अ0क0	प्रजाति का नाम (सामान्य एवं वानस्पतिक नाम)	चट्टों की संख्या	घ0मी0	वजन (टन में)
1	2	3	4	5

अथवा

(स) बांस हेतु

अ0क0	प्रजाति का नाम (सामान्य एवं वानस्पतिक नाम)	लम्बाई (मीटर में)	संख्या	वजन (नोशनल टन में)/टन में
------	--	-------------------	--------	---------------------------------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

(5) भण्डारण का स्थान

(क) स्थल

(ख) परिक्षेत्र

(ग) वन मण्डल

(6) उस स्थान का नाम जहाँ वनोपज परिवहन किया जाना है -

(7) हस्ताक्षरित भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करें।

(8) क्या अभिवहन अनुज्ञा पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई ? हाँ / नहीं

(9) यदि हाँ तो अभिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले अधिकारी को अग्रेषित करें।

(10) यदि नहीं तो कारण दर्शाये -

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2022

क्र. 30-08-2002-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08-2002-दस-3, दिनांक 29 अगस्त 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमप्रिया बालाकृष्णन, पदेन सचिव.

Bhopal, the 29th August 2022

Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2022 (under Sections 41 and 42 read with 76 of Indian Forest Act, 1927)

No. F-30-08-2002-Ten-3

Introduction:

In exercise of the powers conferred by Section 76 read with Section 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules 2000 were notified by the State Government for transit of forest produce. Government of India is developing National Transit Pass System for Pan-India (inter-state and intra-state) transit of timber, bamboo and other forest produce. To expedite issuance of transit permits for bamboo and agro-forestry, there is a need to replace manual paper-based transit system by online transit system. Amendments were made in rule 3 and rule 18 of Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules 2000 by notification published on 13th May 2021 and the electronic transit permit pass / no objection certificate issued by the online National Transit Pass System (<http://ntps.nic.in>) were made valid in the state. To replace manual paper-based transit system by online transit system, new rules are proposed to be notified repealing all earlier notifications and amendments.

Therefore, in exercise of the powers conferred by sections 41 and 42 read with section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby repeals all notifications issued earlier and makes following rules to regulate transit of forest produce, namely:

1. Short title, extent and commencement:

- (1) These rules may be called 'Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2022.
- (2) These rules shall be applicable to whole of Madhya Pradesh.
- (3) These rules will come into force from the date notified separately by the Madhya Pradesh government in this regard.

2. Definitions:

- (1) Act in these rules means the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927)

- (2) Minor Forest Produce means as defined in the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

3. Regulation of transit of forest produce through transit permits:

No forest produce Shall be moved into or outside the State or within the State of Madhya Pradesh except in the manner as herein after provided without an online transit permit in Form-A or an online no-objection certificate issued in the Form-B annexed to these rules or without an online transit permit or online no-objection certificate issued by National Transit Pass System (<https://ntps.nic.in>).

Transit permit will be required for movement of those forest produce for which no exemption is given in these rules. No-objection Certificate will be issued for those forest produce which have been exempted from the requirement of transit permit.

Transit Permit/No-objection Certificate shall be issued by a Forest Officer or Gram Panchayat or a person duly authorized under these rules or by online National Transit Pass System.

But, no Transit Permit/ No-objection Certificate will be required to move the Forest Produce,

- (a) If it is moved by such a person, within the village boundary, where it is grown and for own domestic use as per the right given by the State Government;
- (b) On such forest produce, that has been exempted by the State Government by gazette notification;
- (c) On such forest produce, that has been obtained from plantations on private lands and the person has registered the information on the online portal after plantation in the manner as prescribed by the Government;
- (d) On such forest produce, which comes under Money Receipt/ Rated Pass/ Forest Produce Carting Challan issued by the authorized officer under the then prevailing rules made for this purpose.

But, if a person applies for online Transit Permit/ No-objection Certificate for such species of his ownership, it will be issued to him by the Forest Officer or Gram Panchayat or the person duly authorized under these rules to issue online Transit Permit/ No-objection Certificate.

4. Officers and Persons to Transit Permit/ No-objection Certificate:

Under these rules, following officers and persons will have powers to issue online Transit Permit/ No-objection Certificate:

- (a) for Government forest produce, the Divisional Forest Officer or any other Forest Officer authorized by the Forest Divisional Officer in writing for this purpose,
- (b) for the forest produce owned by any person, the Divisional Forest Officer or any other Forest Officer authorized by the Forest Divisional Officer in writing for this purpose, or the Gram Panchayat authorized by the Government under whose jurisdiction the forest produce has been found or grown.

5. Rates of Fees for Issue of Transit Permit / No-objection Certificate:

The State Government will fix the rates of fees for issuance of Transit Permit/ No-objection Certificate.

6. Contents of Transport Permit / No-objection Certificate:

- (1) Every transit permit/No-objection Certificate issued under rule 3 shall specify the following:
 - (a) Name, address, ID number, mobile number/e-mail ID of the person to whom such Transit Permit/ No-objection Certificate is to be issued;
 - (b) A list showing quantity and description of forest produce to be transported (including measurements in case of logs) will be attached with the Transit Permit/ No-objection Certificate;
 - (c) Names of places of source and destination of transport of such forest produce;
 - (d) Route through which such forest produce will be transported;
 - (e) Type of Vehicle and it's registration number;
 - (f) Time period during which the Transit Permit/ No-objection Certificate will remain valid;
 - (g) Online generated legal transit mark;
 - (h) Details of the authority issuing the Transit Permit/ No-objection Certificate : Designation of the official, Office Address, Office Telephone No/Mobile No., Official Email.
- (2) The online Transit Permit/ No-objection Certificate shall be issued by the Forest Officer or Gram Panchayat authorized in rule 4 in Form A, B or C.
 - Form A : Transit Permit
 - Form B : No-objection Certificate
 - Form C : Will be issued for Foreign Pass issued by any authority other than online National Transit Pass System.
- (3) Verification of the forest produce shown in the application for transit permit will be done by the authorized forest officer in Form-F and will be uploaded on the online portal.

- (4) A unique ID of each online Transit Permit / No-objection Certificate shall be generated online which will also be printed on that online Transit Permit / No-objection Certificate.
- (5) One copy of each online Transit Permit / No-objection Certificate issued will be endorsed online to the concerned forest barriers, forest range office and the Forest Division.
- (6) On receipt of complete online application form along with relevant documents and information for each online Transit Permit/ No-objection Certificate, online transit permit will be issued by the authorized officer within 30 days and no objection certificate within 07 days. On completion of the stipulated time period, the online Transit Permit / No-objection Certificate will be issued automatically from the portal.

7. There shall be separate Transit Permit / No-objection Certificate for each load:

No Transit Permit/ No-objection Certificate shall cover more than one load.

8. Transit Permit / No-objection Certificate will not be tampered with:

Nothing in any Transit Permit/ No-objection Certificate, printed or written, shall be altered except in respect of route, vehicle and duration except by a forest officer not below the rank of a forester and that too for sufficient reasons to be mentioned in the Transit Permit/ No-objection Certificate. In such a situation a new revised online Transit Permit / No-objection Certificate will be issued.

9. Stamping of transit marks on wood:

No wood shall be allowed to move within Madhya Pradesh unless it bears the transit mark mentioned on the online Transit Permit. There will be no need for transit mark on wood in case of transport with No-objection Certificate.

10. Forest produce will be removed only during daylight:

No forest produce shall be transported within the forest between the hours after sunset and before sunrise, without special permission in writing from the Divisional Forest Officer, except on the route shown in the Transit Permit/ No-objection Certificate.

11. Registration for Import of Forest Produce:

- (1) The State Government may, by notification, specify such species of wood or minor forest produce for import into Madhya Pradesh, for which it will be necessary for the

importers to get themselves registered in the office of the concerned Divisional Forest Officer under whose jurisdiction such species of wood or minor forest produce is to be imported.

- (2) On receipt of application for registration and after necessary verification and payment of the amount fixed by the government, the Divisional Forest Officer will register him within 30 days and will give the registration certificate of import in Form-D to the applicant and such registration will be valid for a period of 05 calendar years.
- (3) A person importing notified forest produce shall submit his quarterly information in Form-E online to the Divisional Forest Officer.

12. Foreign Pass:

- (1) (a) All such forest produce, which is being imported into the State of Madhya Pradesh, should be accompanied with a Transit Permit/ No-objection Certificate issued by the exporting country or State and in the case of wood, each piece should be stamped with the transit mark printed on the Transit Permit/ No-objection Certificate.

(b) At the time of entering Madhya Pradesh, a new online Transit Permit/ No-objection Certificate will be issued by the authorized forest officer at the border forest checking barrier and the original Transit Permit / No-objection Certificate will be deposited. The online Transit Permit/ No-objection Certificate issued by the National Transit Pass System (<https://ntps.nic.in>) will also be valid in the entire state of Madhya Pradesh and no foreign pass is required for the forest produce being transported through it.

(c) When the forest produce is going elsewhere passing through Madhya Pradesh, then the Transit Permit/ No-objection Certificate will be issued from the first border checking barrier at the entry point to the destination mentioning last border checking barrier of the state.

- (2) Every foreign pass shall be issued in Form C annexed with this rule.

13. Marks appearing on the Transit Permit/No-objection Certificate shall not be copied or erased:

Forest Officer or any person, whose duty it is to use such signs, shall not use any similar transit mark or lookalike property mark similar to Government transit mark or such mark with which Government wood has been marked and shall not change or/and erase the transit mark on the wood being transported with online Transit Permit/ No-objection Certificate issued by a person authorized for this purpose.

14. Power to intercept and investigate forest produce in transit:

- (1) Any forest produce during transit, to which these rules apply, and any animal, vehicle, vessel or craft carrying such forest produce, may be stopped, detained, examined or inquired into at any place by any forest, police or revenue officer, if such officer has reasonable grounds for suspecting that the forest produce is being transited in contravention of these rules or any money due to the Government on it has not been paid in respect thereof or that any forest offense has been or is being committed in respect thereof:

Provided that, no such officer shall, unnecessarily detain the forest produce being lawfully transited, with a view to harass, nor cause such forest produce to be unnecessarily unloaded for the purpose of examining it.

- (2) The person in charge of such forest produce shall give all such information, which he is able to give in respect of that forest produce to the Inquiring Officer and if he is transiting the forest produce with an online Transit Permit / No-objection Certificate, then he will submit such Transit Permit / No-objection Certificate for inspection on his demand and will not in any way prevent or oppose the forest produce being stopped or inspected by such officer.
- (3) (a) Every forest produce being transported by transit permit shall be presented for checking at all forest produce barriers on the route.
(b) The officer in-charge of the forest barrier shall check and verify the quantity and the transit mark marked as per the details given in the transit permit. After satisfying with the validity of the forest produce, he will verify the details mentioned in the permit online. The officer in-charge of the forest barrier will enter the date and time online in relation to transit permit.
- (4) If any difference or irregularity is noticed, the provisions of section 52 of the Indian Forest Act, 1927 shall apply.

15. Penalty for breach of rules:

- (1) Whoever contravenes any of the provisions of these rules or issues transit permits without authorization or in contravention of the provisions of these rules, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.
- (2) In cases where the offense is committed after sunset and before sunrise, with preparation for resistance to a lawful authority, or where the offender has previously been convicted of a similar offence, the penalty to be imposed shall be twice the penalty mentioned in sub-rule (1) above.
- (3) For the species exempted by the Government of Madhya Pradesh under sub-rule (3) (a), (b) and (c), the offence will be punishable by a penalty of

Rs. Ten Thousand in the case of first offence and Rs. Twenty Thousand in the case of second and subsequent offence.

16. Power to compound offences:

In cases, where the forest produce has been seized in the crime is not a government property, or even if it is a government property, its value is less than Rs.1,000/- and if the offender has committed the offense for the first time, then the case can be compounded by an officer not below the rank of Sub Divisional Officer on payment of Rs. 10,000/- or the value of the vehicle, whichever is higher. No further action will be taken after compounding of the offense. Confiscated forest produce can be released if it is non-government property or on payment of its value if it is government property.

17. Power to remove difficulties:

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this rule, the State Government may, for the purpose of removing the difficulty, issue such order not inconsistent with those provisions.

18. Protection for action taken in good faith:

No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any officer or person or authority for action taken in good faith in pursuance of this rule or the orders issued by the State Government thereunder.

19. Repeal:


On coming into force of these rules, all the rules corresponding to these rules in force in any area of the State of Madhya Pradesh immediately before the commencement of these rules shall stand repealed:

But any action taken under any rule of such repealed rules shall be deemed to have been done under the corresponding provisions of these rules, unless such thing or action is inconsistent with any of the provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PADAMAPRIYABALAKRISHNAN, Secy.

Forest Department, Government of Madhya Pradesh
Form -A
(Rule 6 (2))
Transit Permit
(for movement of timber, fuelwood or other forest produce)

1. Transit Permit No. : (Auto generated)
2. Details of the Person/ entity to whom permit is granted :
 - (a) Name : (Auto filled)
 - (b) Identity card and Number : (Auto filled)
 - (c) Address : (Auto filled)
 - (d) Mobile No. : (Auto filled)
 - (e) E-mail : (Optional)
3. Name of Forest Produce (Timber/ Fuel-wood/ Bamboo) :
4. Details of Species/Produce (Auto filled)



(A: For Timber)

S.No.	Log Number	Name of Species (Common and Botanical Name)	Girth (cm)	Length (cm)	Volume (cubic m)
1	2	3	4	5	6

Note: Details of the girth and length will be filled by the applicant. Volume will be auto-calculated by the system.

Or

(B: For Fuel-wood)

S.No.	Name of Species (Common and Botanical Name)	No. of Fuel Stacks	Volume (cubic m)	Weight (tonnes)
1	2	3	4	5

Note: The applicant will either provide the information about no. of fuel stacks or weight in tonnes.

Or

(C: For Bamboo)

S.No.	Name of Species (Common and Botanical Name)	Length (m)	Number	Weight (Notional tonnes/ tonnes)
1	2	3	4	5

Note: The applicant will either provide the information about the length and no of bamboos or weight in tonnes. System will auto-calculate 2400 running meters as one notional tonne if length and number of bamboos is given by the applicant.

5. **Place of Storage :** (Auto Filled)
 - (a) Place :
 - (b) Range :
 - (c) Forest Division :
6. **Destination where forest produce is to be transported:** (Auto Filled)
7. **Route by which forest produce will be transported:** (Auto Filled)
8. **Name of Forest barriers where forest produce will get examined:** (Auto Filled)
9. **Information of Vehicle transporting Forest Produce:**
 - (a) Type of Vehicle : (Auto Filled)
 - (b) Vehicle Registration Number : (Auto Filled)
10. **Date of Issue of Transit Permit:** (Auto Generated)
11. **Date of Expiry of Transit Permit:**

Autogenerated
Transit Mark

Details of the authority issuing the permit:

- (a) Designation of Official : (Auto Filled)
- (b) Office Address: (Auto Filled)
- (c) Official Telephone No./Mobile No.: (Auto Filled)
- (d) Official Email : (Auto Filled)

Forest Department, Government of Madhya Pradesh
Form -B
(Rule 6 (2))
No-objection Certificate
(for movement of timber, fuelwood or other forest produce)

1. No-objection Certificate No. : (Auto generated)
2. Details of the Person/ entity to whom No-objection Certificate permit is granted :
 - (a) Name : (Auto filled)
 - (b) Identity card and Number : (Auto filled)
 - (c) Address : (Auto filled)
 - (d) Mobile No. : (Auto filled)
 - (e) E-mail : (Optional)
3. Name of Forest Produce (Timber/ Fuel-wood/ Bamboo) :
4. Details of Species/Produce (Auto filled)

QR Code
Auto
Generated

(A: For Timber)

S.No.	Log Number	Name of Species (Common and Botanical Name)	Girth (cm)	Length (cm)	Volume (cubic m)
1	2	3	4	5	6

Note: Details of the girth and length will be filled by the applicant. Volume will be auto-calculated by the system.

Or

(B: For Fuel-wood)

S.No.	Name of Species (Common and Botanical Name)	No. of Fuel Stacks	Volume (cubic m)	Weight (tonnes)
1	2	3	4	5

Note: The applicant will either provide the information about no. of fuel stacks or weight in tonnes.

Or

(C: For Bamboo)

S.No.	Name of Species (Common and Botanical Name)	Length (m)	Number	Weight (Notional tonnes/ tonnes)
1	2	3	4	5

Note: The applicant will either provide the information about the length and no of bamboos or weight in tonnes. System will auto-calculate 2400 running meters as one notional tonne if length and number of bamboos is given by the applicant.

5. Place of Storage : (Auto Filled)

(d) Place :

(e) Range :

(f) Forest Division :

6. Destination where forest produce is to be transported: (Auto Filled)

7. Route by which forest produce will be transported: (Auto Filled)

8. Name of Forest barriers where forest produce will get examined: (Auto Filled)

9. Information of Vehicle transporting Forest Produce:

(c) Type of Vehicle : (Auto Filled)

(d) Vehicle Registration Number : (Auto Filled)

10. Date of Issue of No-objection Certificate: (Auto Generated)

Forest Department, Government of Madhya Pradesh**Form - C****(Rule 6 (2))****Foreign Pass**

(Not required for Transit Permit/ No-objection Certificate issued through NTPS)
(for movement of timber, fuelwood or other forest produce)

1. **Foreign Pass No. :** (Auto generated)
2. **Details of the Person/ entity to whom Foreign Pass is granted :**
 - (a) **Name :** (Auto filled)
 - (b) **Identity card and Number :** (Auto filled)
 - (c) **Address :** (Auto filled)
 - (d) **Mobile No. :** (Auto filled)
 - (e) **E-mail :** (Optional)
3. **Place of Origin :**
 - (a) **Name of Place:**
 - (b) **Name of Forest/ Depot and Status:**
 - (c) **Name of Seller:**
4. **No. and Date of Foreign Pass :**
5. **Issuing Authority of the Foreign Pass:**
6. **Name of Forest Produce (Timber/Fuelwood/Bamboo):**
7. **Details of Species/Produce :** (Upload the Foreign Pass issued)
8. **Name of the Border entry forest barrier:**
9. **Destination where forest produce is to be transported:**
10. **Route by which forest produce will be transported:** (Auto Filled)
11. **Name of Forest barriers where forest produce will get inspected:**
12. **Information of Vehicle transporting Forest Produce:**

QR Code
Auto
Generated

(a) Type of Vehicle :

(b) Vehicle Registration Number :

13. Date of Issue of Foreign Pass:

14. Date of Expiry of Foreign Pass:

Autogenerated
Foreign Pass
Mark

Details of the authority issuing the foreign pass:

- (a) Designation of Official : (Auto Filled)
- (b) Office Address: (Auto Filled)
- (c) Official Telephone No./Mobile No.: (Auto Filled)
- (d) Official Email : (Auto Filled)

Forest Department, Government of Madhya Pradesh
Form -D
{Rule 17 (2)}
Registration Certificate for import of Forest Produce

1. **Registration Certificate No. for import of Forest Produce:** (Auto generated)
2. **Details of the Person/ entity importing Forest Produce :**
 - (a) **Name :** (Auto filled)
 - (b) **Identity card and Number :** (Auto filled)
 - (c) **Address :** (Auto filled)
 - (d) **Mobile No. :** (Auto filled)
 - (e) **E-mail :** (Optional)
3. **Details of Forest Produce being imported:**
 - (a) **Country/State from where Forest Produce will be imported:**
 - (b) **Name of Forest Produce being imported:**
 - (c) **Approximate Quantity of Forest Produce being imported:**
4. **Destination where forest produce is to be transported:**
5. **Name of Forest barriers where forest produce will be produced for inspection:**
6. **Date of Registration :**
7. **Expiry date of registration:**

Details of the authority issuing Registration:

- (a) **Designation of Official:** (Auto Filled)
- (b) **Office Address:** (Auto Filled)
- (c) **Official Telephone No./Mobile No.:** (Auto Filled)
- (d) **Official Email:** (Auto Filled)

Forest Department, Government of Madhya Pradesh

Form-E

{Rule 17 (3)}

Quarterly Account of Imported and Disposed wood from..... To.....
(to be uploaded online)

Opening Balance				Quantity of Imported Wood		Total			Timber Sawn		
Species	Logs		Sawn Material	Logs		Logs		Sawn Material	Logs		Sawn Material
	Number	Cubic Meter	Cubic Meter	Number	Cubic Meter	Number	Cubic Meter	Cubic Meter	Number	Cubic Meter	Cubic Meter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Total Quantity after Sawing			Quantity used or disposed by selling			Final Balance at the end of the Quarter			Remarks
Logs		Sawn Material	Logs		Sawn Material	Logs		Sawn Material	
Number	Cubic Meter	Cubic Meter	Number	Cubic Meter	Cubic Meter	Number	Cubic Meter	Cubic Meter	
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)